114

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 889–एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनॉक 8 मार्च, 2015 –पारित व्दारा – अपर कलेक्टर, जिला श्योपुर – प्रकरण क्रमांक 55/2010–11 स्वमेव निगरानी

रामलखन पुत्र प्रहलाद मीणा, निवासी
ग्राम हिरनीखेड़ा तहसील व जिला श्योपुर ---आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती प्रकाशी पत्नि गौरीशंकर मीणा
ग्राम हिरनीखेड़ा तहसील व जिला श्योपुर
2– म0प्र0शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री ओ0पी0मीना)

आ दे श
(आज दिनांक 6 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 55/2010–11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08 मार्च, 2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार वृत्त प्रेमसर तहसील श्योपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की किमौजा किशनपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 86 रकबा 30 वीघा 5 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) राजस्व अभिलेख में महिला प्रकाशी पत्नि गौरी शॅकर के नाम दर्ज है जबकि यह भूमि पैत्रिक है तथा पैत्रिक बटवारे में उसे प्राप्त हुई है जिसके आधार पर पिछले 20 वर्ष से वही खेती करते आ रहा है क्योंकि महिला प्रकाशी का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये बटवारे के आधार पर भूमि उसके नाम की जावे। तहसीलदार वृत्त प्रेमसर तहसील श्योपुर ने प्रकरण कमांक 40 अ-27/2007-08 पंजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 17-8-2008 पारित किया एंव आवेदक को बटवारे में प्राप्त भूमि उसके नाम दर्ज करने के आदेश दिये।

अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण कर अपर कलेक्टर श्योपुर को प्रतिवेदन दिनांक 24-12-2010 प्रस्तुत किया, जिस पर से अपर कलेक्टर श्योपुर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 55/2010-11 पॅजीबद्व किया एंव आदेश दिनांक 08 मार्च, 2015 पारित करके तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-8-2008 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार के आदेश दिनांक 17-8-2008 को अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक

8-3-15 से 6 वर्ष से अधिक समय वाद निरस्त किया है जबकि स्वमेव निगरानी के लिये अवधि कुछ मास है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि यह सही है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 17-8-08 को अपर कलेक्टर ने 6 वर्ष 6 माह से अधिक अवधि वाद स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया है। **मोहन तथा अन्य एक विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य 1999 रा0नि0 363 का दृष्टांत है कि * भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण की शक्ति - युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयुक्त की जाना चाहिये - एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है** * जबकि अपर कलेक्टर श्योपुर ने तहसीलदार के आदेश को 6 वर्ष 6 माह से अधिक अवधि वाद स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त किया है जिसके कारण अपर कलेक्टर श्योपुर का आदेश दिनांक 8-3-15 दोषपूर्ण है।

5/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार के समक्ष बटवारे का दावा दायर करने के 20 वर्ष पूर्व से वादग्रस्त भूमि घरेलू बटवारे में आवेदक को प्राप्त हुई है , किन्तु घरेलू बटवारे का अमल न होने से भूमि तत्समय परिवार की सदस्य रही महिला श्रीमती प्रकाशी के नाम दर्ज हो गई। वादविचारित भूमि आवेदक के भाई गौरीशंकर के नाम थी जो ज्येष्ठ था। दोनों भाई के बीच 20 वर्ष पूर्व हुये बटवारे में भूमि आवेदक को प्राप्त हुई, किन्तु गौरीशंकर की मृत्यु हो जाने पर भूमि महिला प्रकाशी के नाम हो गई, जबकि महिला प्रकाशीवाई पति गौरीशंकर के मरने के वाद द्वित्तीय विवाह करके अन्यत्र चली गई। अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि महिला प्रकाशीवाई के नाम भूमि दर्ज है

भले ही प्रकाशीवाई ने दूसरा विवाह कर लिया किन्तु भूमि उसकी रहेगी। उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के पर विचार करने करने पर स्थिति यह है कि हिन्दू विधि के अनुसार यदि विधवा महिला पुर्नविवाह करती है तब वह मृतक पति के परिवार की सदस्य नहीं रहती है और मृतक व्दारा छोड़ी गई संपत्ति में द्वित्तीय विवाह कर लेने के कारण उसे संपत्ति का बटवारा कराने/प्राप्त करने की पात्रता नहीं रहती। विचाराधीन प्रकरण में महिला प्रकाशीवाई के स्वर्गीय पति के जीवनकाल में संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्यों के बीच हुये घरेलू बटवारे में वादग्रस्त भूमि आवेदक को हिस्से में मिलने का तथ्य तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 40 अ-27/2007-08 में आया है और प्रकाशी वाई के पुर्नविवाह के कारण तथा 20 वर्ष पूर्व से बटवारे में वादग्रस्त भूमि आवेदक को मिलने, निरन्तर खेती करने के कारण स्वयं् के नाम कराने का पात्र पाकर तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि आवेदक के नाम की है। **भुवन तथा अन्य विरूद्व नागू 1996 रा0नि0 33 (न्यायाधिपति श्री आर0डी0शुक्ला म0प्र0 हाई कोर्ट व्दारा प्रतिपादित किया गया है कि पैतीस साल पूर्व कौटुम्बिक व्यवस्था के रूप में मौखिक बअवारा का कानि करते हुये वादी ने वादग्रस्त जमीन के स्वामित्व की घोषणा के लिये वाद पेश किया तथा 35 वर्ष से खुला कब्जा सबूत किया। स्वामित्व की डिक्री वादी के पक्ष में पारित की गई)** स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर श्योपुर ने प्रकरण की तह में न जाकर सरसरी-तौर पर अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन को आधार मानकर तहसीलदार वृत्त प्रेमसर तहसील श्योपुर के आदेश दिनांक 17-8-2008 को निरस्त करने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर श्योपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 55/2010-11 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 08 मार्च, 2015 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव तहसीलदार वृत्त प्रेमसर तहसील श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 40 अ-27/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 17-8-2008 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर